न्यायालय भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी, सीकर

आनन्द सिंह बनाम गोपाल सिंह

किस्म मुकदमा 223 RTA मु. नं0 08 वर्ष 2019

25-1-19	पत्रावली पेश। केवियटकर्ता वकील श्री सुरेन्द्र सिंह किशनावत की ओर से धारा 96(3) का प्रार्थना पत्र पेश। जिस पर उभयपक्षों द्वारा बहस करने हेतु धारा 96(3) प्रार्थना पत्र दिनांक 28-1-19 को पेश हो।
28-1-19	पत्रावली पेश। अपील में केवियटकर्ता रेस्पोडेंट संख्या 04 छगन सिंह की और से वकील श्री सुरेन्द्र सिंह किशनावत उपस्थित। स्थगन पर बहस से पूर्व रेस्पोडेंट के वकील ने प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 96 सीपीसी पेश किया जिस पर उभयपक्ष की बहस सुनी गई। आवेदनकर्ता ने कथन किया कि विचारण न्यायालय में उभयपक्ष की सहमती से विचाराधीन निर्णय व प्राथमिक डिकी पारित की गई है। धारा 96 (3) सीपीसी के प्रावधानों के अनुसार ऐसे निर्णय व डिकी की अपील विधि द्वारा बाधित होने से पोषणीय नही है अत इसी स्तर पर खारिज की जायें। विद्वान अधिवक्ता अपीलांट ने कथन किया है कि विचारण न्यायालय में हमने ऐतराज प्रस्तुत किया है कि रास्ते का प्रावधान रखते हुये डिकी पारित की जायें, जो नही की गई है। अत अपील पोषणीय है। आवेदन खारिज किया जावें। हमने पत्रावली का अवलोकन किया एवं उभयपक्ष की बहस पर मनन किया। विचारण न्यायालय की पत्रावली में दिनांक 05.02.2018 को अपीलांट की और से सहमती के हस्ताक्षर है इसके आधार पर मौका रिपोर्ट प्राप्त कर विचारण न्यायालय ने विचाराधीन प्राथमिक

दिनांक	आज्ञा पत्र	
	डिक्री जारी की है अपीलांट की आपत्ति है कि रास्ते के प्रावधान के आदेश नही दिये गये है विचारण न्यायालय में अपीलांट की सहमती से प्राथमिक डिक्री जारी कि है एवं तहसीलदार से कुरेजात मंगवाये है धारा 96 3सीपीसी के प्रावधानों के अनुसार सहमती से पारित डिक्री की अपील पोषणीय नही है अत अपील अपीलांट इसी स्तर पर खारिज की जाने योग्य है। जहां तक रास्ते के प्रावधान की आपत्ति का प्रश्न है। विचारण न्यायालय द्वारा पारित विचाराधीन निर्णय व प्राथमिक डिक्री की पालना में कुरेजात आने पर अपीलांट विचारण न्यायालय के समक्ष इस सन्दर्भ में आपत्ति प्रस्तुत कर सकता है। उपरोक्त विवेचन के आधार पर रैस्पोडेंट संख्या 04 द्वारा प्रस्तुत आवेदन धारा 96(3) सीपीसी स्वीकार किया जाकर अपील अपीलांट इसी स्तर पर खारिज की जाती है। निर्णय सरे इजलास सुनाया गया। पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद तरतीब तकमील दाखिल दफतर हो। [signature] 2-8-118 उपखण्ड अधिकारी एवं फील्ड [illegible] अपील अधिकारी [illegible]	